छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

आम सूचना

माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के (बहुवर्षीय टैरिफ के सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम – 2021 के संगत प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश योजना के अनुमोदन हेतु याचिका माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है जिसे याचिका क्रमांक 04/2023 के रूप में पंजीकृत किया गया है। उक्त याचिका में याचिकाकर्ता ने उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सहित उपभोक्ता सेवाओं के स्तर के उन्नयनन पर पूंजीगत व्यय प्रस्तावित किया गया है जिसका सारांश नीचे तालिका में दर्शित हैं :–

सामान्य विकास योजना वर्ष 2022–23 के लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश योजना

स.क्र.	विवरण	वर्ष 2022–23 (नं./कि.मी.)	राशि (रू. करोड में)
1. नये कार्य			
अ.	अतिरिक्त डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (63 kVa)	1778 नं.	44.78
ब.	अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के लिए नई 11 केवी लाईन	834.20 कि.मी.	35.76
स.	अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के लिए नई एलटी लाईन	345.50 कि.मी.	14.88
द.	अगुमेंटेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर	1157 नं.	13.60
ई.	एलटी लाईन को सिंगल फेस से थ्री फेस में परिवर्तन	1116.26 कि. मी.	40.98
योग			**150.00**
2. व्यय का युक्तिकरण			
क.	आर एण्ड एम व्यय को पूंजीगत व्यय मे करने की मान्यता		**215.00**
योग			**215.00**
महायोग (1+2)			**365.00**

उपरोक्ता याचिका की प्रति सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर एवं कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, चतुर्थ तल, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर स्थित मुख्यालय में उपलब्ध हैं जिन्हें रू. 100/– के भुगतान के साथ किसी भी कार्यालयीन दिवस पर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त भुगतान के अतिरिक्त डाक व्यय हेतु रू. 50/– के साथ याचिका की प्रति उक्त कार्यालय से डाक के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in एवं छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं. लि. की वेबसाईट www.cspdcl.co.in पर भी उपलब्ध है।

याचिका से प्रभावित होने वाले सभी संबंधित पक्षकारों से याचिका पर आपत्तियां/सुझाव इस नोटिस के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। आपत्ति /सुझाव आम सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों की समयावधि के भीतर कार्यपालक निदेशक (निका एवं उप्र), छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि, रायपुर एवं/या

सचिव, छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। सुझाव/आपत्ति ई–मेल द्वारा ई–मेल आई डी cserc.sec.cg@nic.in एवं/या cecomcseb@rediffmail.com पर भी भेजे जा सकते हैं।

छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आपत्तिकर्ता /सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति /संस्था व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान कर सकता है, जिसके स्थान एवं तिथि की जानकारी आयोग द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से पृथक से प्रसारित की जावेगी।

कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.)
छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि., रायपुर

Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)

Public Notice

In pursuance to relevant provision of Hon'ble Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulation – 2021, Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited has submitted proposal for approval of Additional Capital Investment Plan for FY 2022-23 before Hon'ble Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, which is registered as Petition No. 04/2023. The summary of proposed petition is given in the table below :-

Normal Development (Obligatory) works for Additional Capital Investment Plan FY 2022-23

Sr. No	Name of the Scheme	FY 2022-23	Amount
		PHY (No./Km)	(Rs. Cr)
A. New Works Identified Post CIP			
A	Additional Distribution Transformer (63 kVa)	1778 No.	44.78
B	11 KV lines associated with Additional Transformer	834.20 Km	35.76
C	LT Lines associated with Additional Transformer	345.50 Km	14.88
D	Augmentation of Distribution Transformer	1157 No.	13.60
E	Conversion of LT Lines 1 Phase to 3 Phase	1116.26 Km	40.98
Sub-Total A			**150.00**
B. Additional CIP due to Rationalization of Expenses			
a.	**Expenditure from R&M expenses recognized as Capital Expenditure**		**215.00**
Sub-Total B			**215.00**
Grand Total (A+B)			**365.00**

Interested persons can purchase copy of petition on any working day on payment of Rs. 100/- from Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur and Executive Director (R.A.&P.M.), 4th Floor, Vidhut Sewa Bhavan, Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited, Raipur. The copy of petition can also be obtained by post from aforesaid offices on additional payment of Rs. 50/-. The petition is also available at commission's website www.cserc.gov.in and CSPDCL's website www.cspdcl.co.in.

Persons intending to file objections/suggestion on aforesaid petition may send their objections directly to Executive Director (RA&PM) and/or Secretary, CSERC within 21 days from the date of publication of this notice. Objections / suggestions can also be mailed to e-mail address cserc.sec.cg@nic.in and/or cecomcseb@rediffmail.com.

The Commission may provide opportunity of personal hearing to interested person for which date shall be notified by Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission separately.

Executive Director (RA&PM)
CSPDCL: Raipur